सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-2/2020/1255/90-सं0शि0प0का0/2020-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊः दिनांक 21 अक्टूबर, 2020**

विषयः- राज्य सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार की सहायता से जनता के हित में कराये जा रहे विकास कार्यक्रमों में क्षेत्र के मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को आमंत्रित करने एवं शिलापट् पर उनका नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग की ओर से प्रेषित संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के आनलाईन निर्गत शासनादेश संख्या-1/2020/जी0आई0-18/90-सं0शि0प0का0/2020-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-13-10-2020 के साथ संलग्न कर प्रेषित अपर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-CDN/ 4/2020-MoMA दिनांक-29-09-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के आनलाईन निर्गत शासनादेश दिनांक-13-10-2020 द्वारा संयुक्त सचिव, डिपार्टमेन्ट आफ पर्सनल एण्ड ट्रेनिग, भारत सरकार के पत्र दिनांक-01 दिसम्बर, 2011 मे उल्लिखित गाइड् लाइन्स के आलोक में नियमानुसार समयान्तर्गत त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गयी है।

3- तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा भारत सरकार की उक्त गाइड लाइन्स की तरह ही **राज्य सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार की सहायता से जनता के हित में कराये जा रहे विकास कार्यक्रमों में भी क्षेत्र के मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को आमंत्रित करने एवं शिलापट् पर उनका नाम अंकित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।**

अतः अनुरोध है कि कृपया मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के उक्त निर्देशों से अवगत होते हुए **राज्य सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार की सहायता से जनता के हित में कराये जा रहे विकास कार्यक्रमों में भी क्षेत्र के मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को आमंत्रित करने, मा0 सदस्यों को अनुमन्य प्रोटोकाल के तहत उनके बैठने की व्यवस्था करने एवं शिलापट् पर उनका नाम अंकित किये जाने** हेतु नियमानुसार समयान्तर्गत त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे0पी0सिंह-II
प्रमुख सचिव।

क्रमशः पृ-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 2/2020/1255(1)/90-सं0शि0प0का0/2020-02(सं0शि0)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ज्ञान प्रकाश-III

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।